न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 791 सन 2019

अनवान :–

1. बजरगलाल पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी चक 24 एनटीआर नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
2. राजकुमार पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
3. अशोक पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
4. विनोद पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
5. सोनादेवी पुत्री ईशरराम पत्नी बाबुलाल जाति सैनी निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. मन्जूदेवी पुत्री ईशरराम पत्नी राधेश्याम जाति सैनी निवासी सिरसा जिला सिरसा
7. किरण सैनी पुत्री ईशरराम पत्नी कालुराम जाति सैनी निवासी करमसाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
8. सीतादेवी पुत्री ईशरराम जाति मनीराम जाति सैनी निवासी ऐलानाबाद जिला सिरसा
9. अमरसिह पुत्र बृजलाल जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
10. बृजलाल पुत्र लिच्छुराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 3/46 की कुल 7.0840हैक मे से ईशर बृजलाल पि0 लिच्छुराम प्रत्येक के 0.7871हैक तथा प्रतिवादी संख्या 9 के 0.4211हैक एवं रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 7/57 की कुल 3.0360हैक में ईशर बृजलाल पि0 लिच्छुराम व अमरसिह पुत्र बृजलाल के वहिब दर्ज है।

वादी के पिता ईशरराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है अर्थात ईशरराम के देहान्त होने पर ईशरा के नाम से दर्ज भूमि ईशरराम के वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 विरासतन से अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता ईशरराम पुत्र लिच्छुराम के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ता 8 है जो ईशराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने मृतक ईशरराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की ईशरराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ,10 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि ईशरराम के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो ईशरराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ,10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 3/46 की कुल 7.0840हैक मे से ईशर बृजलाल पि0 लिच्छुराम प्रत्येक के 0.7871हैक तथा प्रतिवादी संख्या 9 के 0.4211हैक एवं रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 7/57 की कुल 3.0360हैक में ईशर बृजलाल पि0 लिच्छुराम व अमरसिह पुत्र बृजलाल के बहिब दर्ज है।

वादी के पिता ईशरराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है अर्थात ईशरराम के देहान्त होने पर ईशररा के नाम से दर्ज भूमि ईशरराम के वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 विरासतन से अपने हक हिस्सा के अनुसार रजास्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता ईशरराम पुत्र लिच्छुराम के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो ईशराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने मृतक ईशरराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 3/46 की कुल 7.0840हैक मे से ईशर बृजलाल पि0 लिच्छुराम प्रत्येक के 0.7871हैक तथा प्रतिवादी संख्या 9 के 0.4211हैक एवं रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 7/57 की कुल 3.0360हैक में ईशर बृजलाल पि0 लिच्छुराम व अमरसिह पुत्र बृजलाल के बहिब दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान में ईशरराम पुत्र लिच्छुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी के पिता ईशरराम पुत्र लिच्छुराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है ईशरराम पुत्र लिच्छुराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है अर्थात ईशरराम पुत्र लिच्छुराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकरार पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 3/46 की 1.9953हैक भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 9 ,10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 7/57 की 3.0360हैक भूमि वादी के पिता का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 ,10 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बजरंगलाल पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी चक 24 एनटीआर नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
2. राजकुमार पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
3. अशोक पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
4. विनोद पुत्र ईशरराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
5. सोनादेवी पुत्री ईशरराम पत्नी बाबुलाल जाति सैनी निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. मन्जूदेवी पुत्री ईशरराम पत्नी राधेश्याम जाति सैनी निवासी सिरसा जिला सिरसा
7. किरण सैनी पुत्री ईशरराम पत्नी कालुराम जाति सैनी निवासी करमसाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
8. सीतादेवी पुत्री ईशरराम जाति मनीराम जाति सैनी निवासी ऐलानाबाद जिला सिरसा
9. अमरसिह पुत्र बृजलाल जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
10. बृजलाल पुत्र लिच्छुराम जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 791 सन 2019 निर्णय दिनांक– 11/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 3/46 की 1.9953हैक भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 9 ,10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 7/57 की 3.0360हैक भूमि वादी के पिता का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 ,10 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner